प्रदेश में पराली प्रबन्धन कार्य-योजना पर विचार विमर्श किये जाने एवं फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यन्त्रों एवं जागरूकता कार्यक्रम ससमय पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 31 अगस्त 2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

.....

प्रदेश में पराली प्रबन्धन कार्य-योजना पर विचार विमर्श किये जाने एवं फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यन्त्रों एवं जागरूकता कार्यक्रम ससमय पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 31.08.2021 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं उप कृषि निदेशकों के साथ सम्पन्न बैठक में निम्न निर्देश दिये गये:-

1- धान कटाई का समय सन्निकट है अत: सभी जिलाधिकारी जनपद में फसल अवशेष जलाये जाने की घटना की रोकथाम करने हेतु विशेष ध्यान दें।

2- गत वर्ष एन0सी0आर0 के जनपदों यथा बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं शामली में वर्ष 2019-20 के सापेक्ष अवशेष जलने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुयी है, जिसे रोका जाय।

3- प्रदेश के अन्य जनपदों यथा अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरेया, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, चन्दौली, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गोरखपुर, हरदोई, झाँसी, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर व सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2019-20 के सापेक्ष फसल अवशेष जलने की घटनाओं में वर्ष 2020-21 में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुयी थी, अत: इन जनपदों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि फसल अवशेष जलने की घटनायें न होने पायें।

4- जनपद बदायूँ, बरेली, हमीरपुर, महराजगंज, मथुरा, पीलीभीत, रामपुर व शाहजहाँपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में घटनाओं में कमी आयी थी, परन्तु इन जनपदों में भी गत वर्ष की भाँति अतिरिक्त सावधानी रखे जाने के निर्देश दिये गये।

5- आई0ई0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर गोष्ठी एवं न्याय पंचायत गोष्ठी माह सितम्बर, 2021 तक सम्पन्न कर ली जाए।

6- जनपद स्तर गोष्ठी, न्याय पंचायत गोष्ठी, किसान पाठशाला एवं कृषि विभाग की कृषकों के मध्य अन्य बैठकों/कार्यक्रमों में फसल अवशेष प्रबन्धन विषय पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जाए।

7- फसल अवशेष प्रबन्धन एवं पराली जलने की घटनाओं के रोकथाम के सम्बन्ध में कृषकों से अधिक से अधिक संवाद स्थापित किया जाए।

8- पराली जलने की घटनाओं से प्रभावित ग्रामों को प्राथमिकता देते हुए वाल-पेन्टिंग, वाल-राइटिंग कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक कराये जायें। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवश्यकता होने पर निदेशक, कृषि को प्रस्ताव भेजकर अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

9- प्रदेश में बाहर से आये कम्बाइन हार्वेस्टर एवं स्थानीय कम्बाइन हार्वेस्टरों में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यन्त्रों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। जिन कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिकों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, उस कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज कर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिकों के साथ बैठक की जाए।

10- पराली प्रबन्धन हेतु मनरेगा योजना से कम्पोस्ट के गड्ढे खुदवाये जायें।

http://sirsaanadesh.up.gov.in

11- पराली जलाये जाने से रोकने हेतु जनपदों में क्षेत्रवार अधिकारी / कर्मचारी की टीम बनाकर प्रचार-प्रसार किया जाय।

12- निराश्रित गोआश्रय स्थलों पर अधिक से अधिक पराली भेजी जाए।

13- जनपद पीलीभीत में अपनाये गये मॉडल के अनुसार कटाई के बाद खेत में पराली को पलटने तथा फील्ड में पानी एवं यूरिया डालकर पराली सड़ाई जाए, जिससे जैविक खाद बन सके।

14- इन-सीटू योजनान्तर्गत व्यक्तिगत कृषकों के यंत्र क्रय किये जाने की प्रगति धीमी है, जबकि निदेशालय द्वारा 01 माह पूर्व ही टोकन कन्फर्म किये जा चुके हैं। समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार कर दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 तक कृषकों द्वारा क्रय किए गए कृषि यंन्त्रों के बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड किये जाये।

15- रूपये. 5 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु जिन समितियों द्वारा गत वर्ष में लाभ प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी समितियों के नाम दोबारा चयन हेतु प्रस्तावित होने पर फसल अवशेष प्रबन्धन के गत वर्ष से भिन्न कृषि यन्त्र क्रय किए जायें।

16- पंचायतों एवं समितियों के यंत्रों के लक्ष्यानुसार प्रस्ताव जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति से अनुमोदित कराते हुए कोटेशन प्राप्त कर डी0बी0टी0 हेतु संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, उत्तर प्रदेश की लागिन पर अग्रिम भुगतान हेतु बिल भेजे जायें। अभी तक झाँसी में 23 के सापेक्ष 16, सम्भल में 15 के सापेक्ष 13, मिर्जापुर में पूर्ण, गोरखपुर में 22 के सापेक्ष 11, रायबरेली में 13 के सापेक्ष 08, कानपुर देहात में 12 के सापेक्ष 06, इटावा में पूर्ण, बागपत में 09 के सापेक्ष 05, लखीमपुर-खीरी में 28 के सापेक्ष 02, ग्राम पंचायत/सहकारी समिति/गन्ना समिति/औद्यानिकी समिति का चयन किया गया है, इनका चयन पूर्ण किया जाये। अवशेष 65 जनपदों द्वारा अभी तक चयन की कार्यवाही नहीं की गयी है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि पंचायत/समितियों का चयन तत्काल पूर्ण करवा लें।

17- सम्बन्धित समिति द्वारा रूपये 5 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यन्त्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 तक क्रय कर लिए जायें।

18- संयुक्त कृषि निदेशक, अभियन्त्रण द्वारा डी0बी0टी0 प्रस्ताव प्राप्त होने के, तीन दिन के अन्दर रू. 4 लाख तक की धनराशि अग्रिम पंचायतों/समितियों को हस्तान्तरित की जाय।

19- जिन जनपदों में रू. 5 लाख तक की फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए समितियॉ नहीं मिल रही हैं, या, समितियॉ फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु इच्छुक नहीं हैं, वहॉ जनपदवार लक्ष्य के सापेक्ष समितियों के लक्ष्य को जनपदों में ही ग्राम पंचायत के लक्ष्यों में सम्मिलित किया जाये।

20- ऐसी पंचायतों/समितियॉ, जो रू. 5 से 15 लाख लागत तक के यंत्रों की मॉग करती है, उनके प्रस्ताव कृषि निदेशालय के अभियंत्रण अनुभाग को उपलध कराया जाए तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर कृषि विभाग की सहमति/अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही, सम्बन्धित समितियों/पंचायतों को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु अनुमति दी जाए। इस हेतु समिति/पंचायतों को अग्रिम धनराशि नहीं दी जाएगी। पंचायत/समतियॉ स्वयं यंत्र क्रय करेंगी तथा विभागीय अनुमन्य अनुदान नियमानुसार डी0बी0टी0 के माध्यम से बाद में दिया जाएगा।

21- आई0ई0सी0 कार्यक्रम/जिला स्तर गोष्ठी/न्याय पंचायत स्तर गोष्ठी/ के0वी0के0 में फसल अवशेष प्रबन्धन सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन पर बैठकों, कार्यक्रमों के फोटो, न्यूज पेपर कटिंग के आधार पर बुकलेट तैयार किये जायें, ताकि संकलित सामग्री उपलब्ध रहे। एन0सी0आर0 जनपदों में उक्त कार्यो को अधिक गम्भीरतापूर्व किया जाए।

22- प्रवर्तन की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाय, जिला स्तरीय/मोबाइल टीम को एलर्ट पर रखा जाए। सेटेलाइट से पराली जलने की सूचना मिलते ही मोबाइल टीम को मौके पर भेजा जाए और तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

23- प्रवर्तन की कार्यवाही शासनादेशों के अनुरूप की जाय।

24- मोबाइल प्रचार-प्रसार वाहन का प्रयोग कृषकों को जागरूक करने में किया जाय।

25- वेस्ट डिकम्पोजर क्रय की प्रक्रिया अभी मात्र कुछ जनपद- सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, कौशाम्बी, जालौन, बॉदा, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, लखनऊ, हरदोई, खीरी, बाराबंकी व बहराइच जनपद द्वारा किये जाने की सूचना है। समय से क्रय करने की कार्यवाही सम्पन्न की जाय। वेस्ड डिकम्पोजर क्रय करते समय ध्यान रखा जाये कि जो भी निर्माता जेम पोर्टल पर बिड में भाग ले रहे हैं, वह आई0ए0आर0आई0, नई दिल्ली अथवा नेशनल काउन्सिल ऑफ आर्गेनिक फार्मिंग से अधिकृत हों। गुणवत्ता उचित हो तथा दरों की रिजनेबिल्टी भी रहे।

26- धान कटाई से गेहूँ की बुआई तक लगातार पराली प्रबन्धन पर निगरानी बनाये रखने की आवश्यकता है।

27- प्रदेश में इस वर्ष पराली जलने की घटनाये शून्य रखने का प्रयास किया जाय।

धन्यवाद के साथ वी0सी0 समाप्त की गई।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

--------//-----

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 62/2021/ 1412115-12-2010/15/2021
लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर,2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0,
2. कृषि निदेशक, उ0प्र,
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0,
4. संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो), लखनऊ,
5. समस्त मण्डलीय, संयुक्त कृषि निदेशक उ0प्र0,
6. समस्त उप कृषि निदेशक उ0प्र0,
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in